

रूप-पत्र 24

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-क का उपनियम (13) देखिये)

ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर जो व्यापार कर अधिकारी से सादे रूप-पत्र 3-क प्राप्त करते हैं और उन्हें विक्रेता व्यापारी को ऐसा माल, जो उपभोक्ता को बिक्री स्थल पर कर-योग्य हो, क्रय करते समय दें।

प्राप्त रूप-पत्रों का विवरण

दिनांक	प्राप्त रूप-पत्रों की कुल संख्या	क्रमसंख्या से तक	दिनांक	व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया
1	2	3-क 3-ख	4	5

जारी किये गये रूप-पत्रों की संख्या	बिल/कैश मैमो संख्या और दिनांक	परिणाम	जारी किये गये रूप-पत्रों का विवरण धनराशि	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10